कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक 357 /14–1 ,आगरा, दिनांक, 24 ,जुलाई, 2017

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मैनपुरी।

विषय :– मैनपुरी में शिकोहाबाद–भौगॉव मार्ग (एस0एच0–84) किमी0 चैनेज 21.000 से 43. 800 एवं घिरोर बाईपास लम्बाई 6.56 किमी0 कुल 25.66 किमी0 लम्बाई में 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण निर्माण कार्य हेतु 24.92755 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4645 वृक्षों एवं पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– आपका पत्रांक 82 / 14–1 दिनांक 10.07.2017

महोदय,

सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा उक्त विषयक प्रस्ताव पर की गई आपत्तियों का निस्तारण कर आख्या प्रेषित की गई है। दी गई आपत्तियों की आख्या के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण में वर्तमान का कोई वृक्षारोपण तो प्रभावित नहीं हो रहा है तथा क्या पर्यावरणीय क्षति का निर्धारण आवश्यक तो नहीं है, यदि आवश्यक है तो पर्यावरणीय क्षति का आंकलन कर प्रस्तावक से क्षति की मॉग की जॉय। तदनुसार प्रस्तावक से भुगतान हेतु वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जॉय। उक्त पर तत्काल आख्या प्रेषित करें।

भवदीय,

24/7/17
(रमेश कुमार पाण्डेय)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक 357/ दिनांकित ।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मैनपुरी को तदनुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

24/7/17
(रमेश कुमार पाण्डेय)
वन संरक्षक,

395
D/Chauhan letter 2016